



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून, मंगलवार, 16 जून, 2026 ई०

ज्येष्ठ 26, 1948 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

वन अनुभाग-3

संख्या- 38/X-3-26/01(646)/2015

देहरादून, 16 जून, 2026

अधिसूचना

प० आ०-31

राज्यपाल, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या-16 वर्ष 1927) की धारा 29 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रयोजनार्थ जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा सल्ट के अंतर्गत स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के ग्राम थलमाड़ को मुख्य मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु मोटर मार्ग के निर्माण हेतु हस्तान्तरित 02.205 है० वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जिलाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा वन विभाग को हस्तान्तरित की गई राज्य सरकार के स्वामित्व की श्रेणी 10(4) (बंजर काबिल आबाद) की 04.410 भूमि, जिसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है, को वन भूमि के साथ-साथ संरक्षित वन घोषित करते हैं:-

तालिका

क्र०.	जनपद	ग्राम	तहसील	खतौनी/खाता न०	खेत न०	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि (हे०)	भूमि की श्रेणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	अल्मोड़ा	देवालय	सल्ट	54	2830	0.330	Category- 10(4) बंजर काबिल आबाद
					2926	0.642	
					3363	0.346	
					3374	0.565	
					3383	0.059	
					3390	0.426	
					3394	0.752	
					3396	01.290	
					Total:-	04.410	

2- संरक्षित वन का सीमांकन किया जायेगा एवं स्तम्भ निर्माण किया जायेगा।

3- उपरोक्त तालिका में उल्लिखित भू-अभिलेखों में वन विभाग के नाम हस्तांतरित किया जाने वाला क्षेत्र किसी भी प्रकार के अधिकारों एवं रियायतों के दावों से मुक्त है।

आज्ञा से,

मुकेश कुमार राय,
संयुक्त सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 38/X-3-26/01(646)/2015, Dehradun dated June 16, 2026 for general information:

File No. 38/X-3-26/01(646)/2015

Dated Dehradun, June 16, 2026

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 29 of Indian Forest Act 1927, (Act No. 16 of 1927), the Governor is pleased to declare 04.410 hectare land of category-10(4) (Banjar Kabil Aabad) owned by the State Government, transferred by District Magistrate, Almora to the Forest Department for compensatory plantation in respect of 02.205 hectare forest land transferred for the construction of motor road to connect the freedom fighter's village Thalmad to the main road in Tehsil Salt of District Almora, details of which are given in the table below, as forest land as well as protected forest, for the purposes of Chapter IV of the said Act.

Table

Sr. No.	District	Village	Tehsil	Khatauni/Khata No.	Khet No.	Area acquired for compensatory plantation (in Hectares)	Category of Land
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Almora	Devalaya	Salt	54	2830	0.330	Category-10(4) Banjar Kabil Aabad
					2926	0.642	
					3363	0.346	
					3374	0.565	
					3383	0.059	
					3390	0.426	
					3394	0.752	
					3396	01.290	
					Total:-	04.410	

2- The protected forest shall be demarcated and pillars shall be constructed.

3- The area, to be transferred in the name of the Forest Department in the land records, mentioned in table above is free from any claim of rights and concessions.

By Order,

MUKESH KUMAR RAI,
Joint Secretary.